

दी बांसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बांसवाड़ा

क्रमांक : बीसीसीबी / बी / 2009–10 /

दिनांक

शाखा व्यवस्थापक

शाखा

विषय :- डेयरी ऋण के प्रपत्र के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि डेयरी ऋण उपलब्ध कराने निम्न प्रपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर शाखा व्यवस्थापक ऋण आवेदन पत्र प्रधान कार्यालय में स्वीकृति हेतु भेजे –

1. ऋण आवेदन पत्र मय फोटो के प्राप्त किये जावें, जिसमें प्रार्थी की वर्तमान आर्थिक स्थिति की विवरण, भूमि सुधार का विवरण एवं भूमि का विवरण होना चाहिये, जिसका प्रारूप की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।
2. जमाबन्दी व भूमि का नक्शा पटवारी द्वारा प्रमाणित कराकर प्राप्त किया जावें।
3. ऋण बकाया के बारे में नो-ड्रू प्रमाण पत्र उस क्षेत्र के ऋण वितरण करने वाली समस्त एजेन्सियों से प्राप्त किया जावें।
4. शपथ पत्र मय पंचायत के सचिव, सरपंच एवं समिति के व्यवस्थापक के साथ नोटरी पब्लिक से उसका प्रमाणित कराया जावें।
5. प्रधान कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराने वाले फर्म भेजे गये हैं जिसमें –
 - 1) ऋण संविदा पत्र
 - 2) ऋण हस्तान्तरण पत्र
 - 3) वचन पत्र
 - 4) प्रतिभूति पत्र
 - 5) दृष्टिबंधक पत्र
 - 6) रहननामा
 - 7) जमानत नामा
6. जमानत एक व्यक्ति की तथा तहसील से हैसीयत प्रमाण पत्र तहसीलदार से प्रमाणित करके प्राप्त किया जावें जो जमानत नामे के साथ संलग्न है।
7. रहननामा डेयरी ऋण प्राप्त कर्ता का चार प्रतियों में प्राप्त किया जावें।
8. भार प्रमाण पत्र (डी ऑफ चार्ज) तहसील द्वारा प्रमाणित कर प्राप्त किया जावें।
9. ऋण कृषक से ऋण मय ब्याज सहित किस्त की देय तिथि ऋण वितरण के माह को छोड़कर अगले माह की अन्तिम तिथि होगी, वसूली समान अनुपात प्रणाली के आधार पर 5 वर्ष की अवधि में ली जावेंगी।
10. ऋण चुकता करने से पूर्व बिना लिखित स्वीकृति के पशु नहीं बेचे जावेंगे व ऋणी के पशुओं की मृत्यु होने पर ऋणी द्वारा बैंक व बीमा कम्पनी को लिखित में 24 घण्टे में दी जावेंगी। बैंक बीमा कम्पनी से सम्पर्क कर कलेम दिलवाने की कार्यवाही करें।
11. पशुओं का वर्ष में कम से कम दो बार भौतिक सत्यापन किया जावें। किसी प्रकार की अनियमिततायें मिलने पर तुरन्त कार्यवाही की जावें जिसकी सूचना प्रधान कार्यालय को भी भिजावें।
12. इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक बीसीसीबी / बी / डेरी / 92–93 / 23855–78, दिनांक 12.02.1993 एवं डेयरी / 92–93 / 57201, दिनांक 05.03.1993 का पूरा पालन किया जावें।

प्रबन्ध निदेशक
बैंक

प्रतिलिपि –

स.अ.अ. / ऋण पर्यवेक्षक शाखा

प्रबन्ध निदेशक
बैंक

डेयरी विकास योजना हेतु तकनीकी प्रतिवेदन एवं ऋण मांग पत्र

1. ऋण प्रार्थना पत्र क्रमांक	:	
2. प्रार्थी का नाम	:	
3. पिता/पति का नाम	:	
4. स्थाई पता	:	
.....			

5. आवेदक की योग्यता :
6. प्रशिक्षण का विवरण :
7. अनुभव :
8. दुग्ध मार्ग का नाम :
9. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का नाम :
10. प्रार्थी की समिति में सदस्यता क्रमांक :
11. प्रार्थी के स्वामित्व में कृषि योग्य भूमि का विवरण पटवारी से प्रमाणित नकल लगाई जावें।

खसरा नम्बर	भूमि का विवरण	क्षेत्रफल		
		सिंचित	असिंचित	योग

12. पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था :
13. निकटतम पशु चिकित्सालय :—
ग्राम आवेदक के घर से दूरी कि.मी.
14. कृत्रिम गर्भादान केन्द्र की स्थिति :—
ग्राम आवेदक के घर से दूरी कि.मी.
15. प्रार्थी के पास वर्तमान में उपलब्ध पशुधन —

क्र. सं.	पशु किस्म	नस्ल	संख्या	
			दूध देने वाले पशु	दूध नहीं देने वाले पशु
1	गाय			
2	भैंस			
3	अन्य			

16. वर्तमान में दुग्ध उत्पादन —
- | क्र. सं. | दुधारू पशु
किस्म सं. | औसत दुग्ध उत्पादन | | कुल दुग्ध
उत्पादन | परिवार में
खपत | बेचने योग्य
दूग्ध की मात्रा |
|----------|-------------------------|-------------------|-----|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | लिटर | दिन | | | |
| | | | | | | |
17. क्षेत्र में प्रचलित दूग्ध की दर प्रति लिटर
18. पशुगृह यदि हो तो नाम तथा विवरण
-
19. कुट्टी काटने की मशीन है/नहीं है : मशीन का मेक क्षमता
20. सुखा चारा संग्रह के स्थान का नाम
- व विवरण

21. प्रार्थी द्वारा मांगे गये ऋण का विवरण –

अ) दुधारू पशु हेतु –

किस्म	नस्ल	संख्या	औसत मूल्य	यातायात शुल्क	बीमा शुल्क	कुल लागत

ब) पशुगृह निर्माण हेतु –

पशुगृह का नाम	निर्माण विवरण	अनुमानित लागत

स) कुट्टी काटने मशीन हेतु – मशीन का मेक क्षमता

द) सुखे चारे के लिये व्यय हरे चारे के उत्पादन व्यय
राशि राशि

य) कुल ऋण राशि की मांग

22. हरे चारे की उपलब्धी हेतु व्यवस्था – क्षेत्र

चारे की किस्म औसत उत्पादन

23. 1) दो जमानतदारों के नाम मय पिता –

1.

2.

2) जमानतदारों के पास उपलब्ध –

1	2
---	---

1. जमीन : सिंचित असिंचित सिंचित असिंचित

2. पशु : नाम संख्या नाम संख्या

3. मकान की लागत

4. अन्य सम्पत्ति

24. ऋणी द्वारा बैंक में जमा कराई गई अमानत राशि का विवरण –

प्रमाणित करता हूँ कि मैंने डेयरी नियमों का अध्ययन कर लिया है, जो मुझे स्वीकार है एवं उपरोक्त दिये गये विवरण सही है। कृपया कुल राशि रु. का ऋण स्वीकृत करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर

नाम

मैंने प्रार्थी के संबंध में स्वयं गांव में जाकर उपरोक्त प्रतिवेदन की सत्यता की जांच की ली है तथा –

1. दुधारू पशु हेतु :
2. यातायात हेतु व्यय :
3. बीमा हेतु :
4. पशुगृह निर्माण हेतु :
5. कुट्टी मशीन हेतु :
6. सुखा चारे की व्यवस्था हेतु :
7. हरे चारे के उत्पादन हेतु :

कुल राशि रु. मात्र की सिफारिश करता हूँ।

या

निम्न कारणों से ऋण नहीं दिये जाने की सिफारिश करता हूँ –

1.
2.
3.
4.
5.

हस्ताक्षर ऋण पर्यवेक्षक